

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in  
क्रमांक/पं0रा0/बजट/सर्वर/2020-21/6249 भोपाल, दिनांक 05/06/2020  
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत-पटेरा/पथरिया,  
जिला दमोह, म.प्र.।

विषय:- मजदूर मद में आवंटन जारी करने बाबत।

-0-

पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था./पं.रा./2020/6201-02, दिनांक 03.06.2020 से जारी प्रशासकीय स्वीकृति के तारतम्य में आपके कार्यालय में कलेक्टर दर पर नियुक्त किये गये भृत्यों के वेतन भुगतान हेतु तालिका के स0क्र0-4 अनुसार आवंटन आपके अधिकार में सौपा जाता है। (राशि रूपये में)

स. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	डी.डी.ओ. कोड	जारी किया जा रहा आवंटन
1	2	3	4
1.	जनपद पंचायत पटेरा(दमोह)	0805802011	70000
2.	जनपद पंचायत पथरिया(दमोह)	0805802004	100000
योग(राशि-एक लाख सत्तर हजार मात्र)			170000

उक्त व्यय मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-9999-योजना क्रमांक-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-#12-000-मजदूरी के अंतर्गत विकलनीय होगा।


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आवंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...


- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (5) जारी किये जा रहे आवंटन का उपयोग म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1-5/2012/22/पं-1/डी, दिनांक 22.11.2012 एवं क्रमांक/एफ 1-5/2012/22/पं-1/ई, दिनांक 22.11.2012 के तहत कलेक्टर दर पर नियुक्त किये गये भृत्यों के भुगतान हेतु ही किया जाना सुनिश्चित करें।

(संचालक द्वारा आदेशित)

  
 संयुक्त संचालक(वित्त)  
 पंचायत राज संचालनालय  
 मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं0रा0/बजट/सर्वर/2020-21/ 6250 भोपाल, दिनांक 05/06/2020  
 प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म0प्र0ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
  2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय)म0प्र0ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
  3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
  4. जिला कलेक्टर, जिला-दमोह म0प्र0।
  5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-दमोह म0प्र0।
  6. संबंधित कोषालय अधिकारी-दमोह म0प्र0।
  7. संयुक्त संचालक(स्थापना), पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके आदेश क्रमांक/पं.रा./स्था./2020/4142-43, दिनांक 26.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
  8. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

  
 संयुक्त संचालक(वित्त)  
 पंचायत राज संचालनालय  
 मध्यप्रदेश

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधी कार्यालय के समीप,

अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल

Phone No. 0755-2557727, E-Mail - [dirpanchayat@mp.gov.in](mailto:dirpanchayat@mp.gov.in)

// आदेश //

क्रमांक/स्था./पं.रा./बजट/2020/6201


भोपाल, दिनांक 03 06.2020

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना क्रमांक-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों में कलेक्टर दर पर नियुक्त भृत्यों के वेतन भुगतान हेतु मजदूरी मद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत में प्रथम चतुर्मास व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने जाने हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति दी जाता है :-

स0क0	जिला / जनपद पंचायत का नाम	राशि (रूपये में)
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पटेरा जिला दमोह	रूपये-70,000/- (रु0सत्तर हजार मात्र)
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथरिया, जिला दमोह	रूपये-1,00,000/- (रु0एक लाख मात्र)

कृपया उक्तानुसार आवंटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पटेरा/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पथरिया को जारी करने का कष्ट करें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक (प्रशा.)

पंचायत राज संचालनालय,


मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 03 06.2020

पृ.क्रमांक/स्था./पं.रा./बजट/2020/6202

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला दमोह म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह की ओर सूचनार्थ ।
3. संयुक्त संचालक(वित्त)पंचायत राज संचालनालय की ओर कृपया योजना क्रमांक 2474 के मजदूरी मद में उपरोक्तानुसार आवंटन जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह / जनपद पंचायत पथरिया जिला दमोह को जारी कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पथरिया /पटेरा जिला दमोह की ओर सूचनार्थ ।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

  
संयुक्त संचालक (प्रशा.)

पंचायत राज संचालनालय,

मध्यप्रदेश